"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2008—फाल्गुन 17, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/4/2008/1 /2.—श्री मुकेश कुमार, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया, जिला कबीरधाम को दिनांक 18-02-2008 से 1-03-2008 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17 फरवरी, 2008 एवं 02-03-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश कुमार आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया, जिला कबीरधाम के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. अवकाश काल में श्री मुकेश कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मुकेश कुमार के अवकाश अवधि में श्री भुवनेश यादव, भाप्रसे, सहायक कलेक्टर, कबीरधाम अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंडरिया, जिला कबीरधाम का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/3/2007/1 /2.—श्रीमती आर. शंगीता, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, कोरबा को दिनांक 18-02-2008 से 20-03-2008 तक (32 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17 फरवरी, 2008 एवं 21, 22 तथा 23 मार्च, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें उनके पति के व्यय पर विदेश (पिट्सबर्ग, यू. एस. ए.) प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती आर. शंगीता, आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कटघोरा, कोरबा के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती आर. शंगीता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आर. शंगीता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/35/2004/1 /2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-02-2008 के द्वारा श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से., क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर, जगदलपुर के दिनांक 14-02-2008 से 23-02-2008 तक (10 दिवस) के अर्जित अवकाश अवधि में श्री एन्. के. खाखा, उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर का चालू कार्य सौंपा गया था. अब उक्त आदेश में संशोधन करते हुए श्री खाखा के स्थान पर श्री जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर, बस्तर को उनके वर्तमान कार्य साथ-साथ क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बस्तर, जगदलपुर का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2008

क्रमांक एफ 4-7/2005/1 /एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 02 जनवरी से 9 जनवरी, 2008 तक (08 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर-सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
MANTRALAYA, DAU KALYAN SINGH BHAVAN, RAIPUR

Raipur, the 18th February 2008

No. F.1497-329/21-B/08.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Protection of Human Right Act, 1993, State Government hereby with the concurrence of the Chief Justice of the High Court specifies the Court of Session in each district as Human Right Courts with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. K. SAMANT RAY, Additional Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक एफ 8-1/2008/11/6.— इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि. रायपुर के बॉयलर क्र. -सी. जी./47 को दिनांक 21-02-2008 से 20-08-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुँचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक एफ 8-7/2007/11/6.— इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज़ जांजगीर-चांपा के बॉयलर क्र. सी. जी./34 को दिनांक 11-02-2008 से 10-08-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुँचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 6-91/2007/वाक (पं.)/पांच .—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2005 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर , पंजीयन विभाग में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500 में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्त किया जाता है, तथा उसे उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित जिले में पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र. (1)	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक (2)	अभ्यर्थी का नाम एवं पता (3)	जिला जहां पदस्थ होंगे अर्थात् वेतन प्राप्त करेंगे (4)	जिला जहां प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे (5)
1.	1. (अनारक्षित)	श्रीमती उषा साहू, पत्नी-श्री मोहिन्दर पाल, ग्राम/पोस्ट-डोंगरडूला, जिला- धमतरी (छ. ग.) पिन कोड 493778	कार्यालय - महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, रायपुर.	रायपुर (छ. ग.)
2.	2. (अजा.)	श्रीमती प्रियंका श्रीरंगे, पत्नी-श्री पंकज श्रीरंगे, द्वारा श्री आर. के. श्रीरंगे, भरकापारा, वार्ड नं. 25, राजनांदगांव (छ. ग.) पिन कोड 491 441	कार्यालय-जिला पंजीयक, धमतरी (छ. ग.)	रायपुर (छ. ग.)

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. यदि विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न होना पाया जाएगा तो उसकी सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में, समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उक्त अधिकारी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ पंजीयन तथा मुद्रांक सेवा (विज्ञप्त), भरती नियम, 1984 के प्रावधान लागू होंगे.

6. उपरोक्त पदाभिलाषी की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उसकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त पदाभिलाषी द्वारा नियुक्ति के पूर्व में दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड सहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना आवश्यक होगा कि, वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, कि वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. बॉण्ड का प्रारूप संलग्न है.

9. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव.

....................................The Governor of Chhattisgarh

WHERE AS, I..

S/o..R/o..

....probationer in the State Administrative Service (Hereinafter refferred to as the probationer) being entitled to receive from the Governor (Hereinafter referred to as the State Government) Pay and allowances during the period in which I am under probation.

Now, We, the probationer..

S/o..R/o..

and Shri...(Surety)

S/o..R/o..

....(hereinafter referred to as surety) jointly and severally, do hereby promise and agree in the event of the failure of the probationer to complete probation to the satisfaction of the State Government to refund the State Government on demand any money paid to him during his probation period including the pay and travelling expenses to join appointment.

The surety hereby agrees that his liability hereunder shall not be effected by the State Government extending the period of probation or giving the probationer an extention of time for payment of compounding the amount hereunder

"Stamp duty payable or this bond shall be borne and paid by the Government."

Dated this..day of....................................2005

Signature of probationer..

Full Name..

Signed by probationer in the presence of

Name of witness...

&

Signature...

Address...

....

Occupation..

Name and signature of the surety..

Signed by surety in the presence of ;

Name of witness & Signature...

....

Address...

Occupation..

कृषि (मछली पालन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2008

क्रमांक/एफ-6-15/36/तक /2007/04 .—विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-7/36/योजना/2006/635 रायपुर दिनांक 18 सितंबर 2007 द्वारा प्रचलित मछली पालन नीति के बिंदु क्रमांक 1.4, 2.5 एवं बिंदु क्रमांक 15 में संशोधन प्रतिस्थापित किए गए हैं. बिंदु क्रमांक 1.4 में प्रतिस्थापित किए गए संशोधन अंतर्गत 200 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर एवं 5000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने की प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप- सचिव.

200 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर तक एवं 5000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशय को पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/समूहों को पट्टे पर दिये जाने की प्रक्रिया

संयुक्त/उप/सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला............................

विज्ञप्ति सूचना

क्र. /म/2007-08 जिला दिनांक

संयुक्त/उप/सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला..................................कार्यालय के अधीनस्थ जलाशयों को 5 वर्षीय पट्टे पर दिये जाने बाबत् विज्ञप्ति सूचना.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य विभाग के अधीनस्थ जलाशयों को अनुबंध की तिथि से नीचे दर्शायी अवधि तक मत्स्यपालन मत्स्याखेट एवं मत्स्य विक्रय हेतु 5 वर्ष के लिए लीज पर नीचे दिये गये विवरण अनुसार पट्टे पर दिया जाना है :-

(मत्स्य उत्पादन मे. टन में एवं राशि रु. लाख में)

क्र.	जलाशय का नाम/ग्राम	विकासखंड	औसत जलक्षेत्र हे.	विगत 5 वर्ष में एक वर्ष का अधिकतम		जलाशय आवंटन हेतु प्रारंभिक लीज राशि	रिमार्क
				वार्षिक मत्स्य उत्पादन	लीज से प्राप्त आय (नीलामी राशि को छोड़कर)		

चयन की पात्रता एवं शर्तें :-

पट्टा आवंटन हेतु प्राथमिकता क्रम :

1. जलाशय के कार्यक्षेत्र की सक्रिय मछुआ सहकारी समितियां

2. जलाशय के निकटस्थ मछुआ सहकारी समूह

3. उक्त दोनों वर्ग के मछुआ सहकारी समिति/समूह न होने की स्थिति में 8 कि. मी. की परिधि में आने वाली व अन्य मछुआ सहकारी समिति/समूहों को प्राथमिकता दी जावेगी.

4. प्राथमिकता क्रम के बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 को समिति/समूह न होने अथवा जलाशय को लीज पर लेने के इच्छुक न होने की स्थिति में अन्य जलाशय परिधि के 8 कि. मी. ऊपर की परिधि में आने वाले मत्स्य सहकारी समिति/समूह को दिया जा सकेगा.

5. मछुआ सहकारी समिति/समूहों को 4 हेक्टेयर प्रति सदस्य (व्यक्ति) के मान से जलाशय पट्टे पर दिया जा सकेगा.

6. एक समिति एक ही आवेदन कर सकेगी. आवेदन में समिति का विधि अनुकूल ठहराव प्रस्ताव लीज राशि की सहमति एवं अनुबंध शर्तों को पालन करने की सहमति का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा.

7. पट्टा स्वीकृति होने के दिनांक से संबंधित समिति/समूहों को 10 दिवस के अंदर लीज राशि की प्रथम किश्त जमा कर अनुबंध करना अनिवार्य होगा.

8. जलाशय का जलक्षेत्र 4.00 हे. प्रति व्यक्ति के मान से यदि एक समिति से अधिक समिति लीज पर लेना चाहेगी तो उन्हें पृथक-पृथक प्रस्ताव/आवेदन देना होगा. ऐसी स्थिति में सभी समितियों से अनुबंध का निष्पादन किया जायेगा, जिसके अनुसार सभी समिति समान रूप से शासकीय देनदारी/शर्तों के पालन के लिए जिम्मेदार होगी.

9. यदि एक से अधिक समितियां सम्मिलित होकर किसी एक समिति को अधिकृत कर लीज पट्टा लेना चाहेगी तो सहकारी नियमों के तहत् पंजीयन कर तैयार अपेक्स बॉडी के माध्यम से आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगी.

10. स्वीकृत पट्टाधारी द्वारा अनुबंध शर्तों के अनुसार समयावधि में अनुबंध का निष्पादन, पंजीकरण न किए जाने की स्थिति में स्वीकृत पट्टाधारी का पट्टा निरस्त करते हुए अन्य समितियों/समूहों के प्रेषित आवेदन पर विचार किया जावेगा.

11. पट्टाधारक द्वारा अनुबंध शर्त के उल्लघंन किए जाने के स्थिति में संबंधित जिले के विभागीय जिला अधिकारी द्वारा पट्टाधारक को वांछित कार्यवाही हेतु 15-15 दिवस के अंतराल से तीन नोटिस देकर सक्षम विहित सक्षम प्राधिकारी (संचालक मत्स्योद्योग, छ. ग.) की अनुमति से पट्टा निरस्त कर सकेगा.

12. स्वीकृत पट्टाधारक को संबंधित जलाशय में मत्स्यपालन विकास का कार्य सुचारू रूप से जारी नियम निर्देशों के तहत् किए जाने हेतु विभाग में पदस्थ अधिकारी द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देश दिए जा सकेंगे, जिसका पालन पट्टाधारक को अनिवार्य रूप से किया जाना होगा.

13. लीज अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में 16 जून से 15 अगस्त तक जलाशयों में मत्स्याखेट छ. ग. नदी नियम अंतर्गत प्रतिबंधित रहेगा, जिसका पालन पट्टाधारक को करना अनिवार्य होगा.

14. पट्टाधारक को शासन द्वारा निर्धारित साईज एवं मछली निकालने की सहमति देनी होगी तथा पट्टाधारक को मत्स्यबीज उत्पादन एवं अनुसंधान कार्यों के लिए विभाग के मांग अनुरूप मत्स्य प्रजनक निर्धारित शासकीय दर पर आपूर्ति करनी होगी.

15. उक्त शर्तों पर जलाशय लेने की इच्छुक समितियों/समूहों को विज्ञप्ति सूचना के 15 दिवस के अंदर संबंधित जिले के मत्स्योद्योग विभाग के जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. निर्धारित तिथि पश्चात् समिति/समूह के आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा.

संयुक्त/उप/सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला.......................(छ. ग.)

200 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर तक एवं 5000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशयों में लीज निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु नीति-निर्देश

विभाग द्वारा जलाशयों की मूल लीज राशि का 10 प्रतिशत लीज राशि में जोड़ कर प्रति दो वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि का निर्धारण किया जावेगा अर्थात् निर्धारित पट्टा राशि में प्रत्येक 2 वर्षों में मूल लीज राशि की 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी. जैसे जलाशय की मूल पट्टा राशि रुपये 10000/- हेतु 5 वर्षों की पट्टा अवधि में निम्नानुसार पट्टा राशि निर्धारित होगी :-

1. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष पट्टा राशि रु. 10,000/- प्रतिवर्ष- (मूल लीज राशि)

2. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष पट्टा राशि रु. 11,000/- प्रतिवर्ष - (मूल लीज राशि+ मूल लीज राशि का 10 प्रतिशत)

3. अंतिम अर्थात् पांचवे वर्ष पट्टा राशि रु. 12,000/- प्रतिवर्ष - (चतुर्थ वर्ष पट्टा राशि+ मूल लीज राशि का 10 प्रतिशत)

1. **पट्टा राशि का निर्धारण :-**

1.1 200 से 1000 हे. तक के जलाशय की पट्टा राशि का निर्धारण 120 कि. ग्रा. प्रति हे. के उत्पादन के मान से अथवा इससे अधिक उत्पादन होने पर वास्तविक उत्पादकता के आधार पर आंकलन किया जाकर किया जा सकेगा. इस कुल उत्पादन पर रु. 10/- प्रति किलोग्राम अथवा इससे अधिक होने पर स्थानीय औसत बाजार भाव की दर से गुणा कर जो राशि आती है, उसका 10 प्रतिशत प्रारंभिक पट्टा राशि निर्धारित की जावेगी.

1.2 जिन जलाशयों में निर्धारित मान अनुसार उत्पादन नहीं लिया जा रहा है अथवा नहीं लिए जाने की संभावना है. जलाशय की पट्टा राशि का निर्धारण विभाग स्वयं करेगी, किन्तु ऐसी पट्टा राशि विगत 5 वर्षों में किसी एक वर्ष में प्राप्त अधिकतम आय (पूर्व में जलाशय की नीलामी स्वीकृत लीज से प्राप्त आय को छोड़कर) से कम नहीं होगी.

नये जलाशय जिनमें मत्स्यपालन का कार्य प्रारंभ नहीं लीज राशि का निर्धारण बिन्दु क्र. 1.1 अनुसार होगा.

1.3 जिन जलाशयों में वर्ष भर पानी नहीं रहता है, उसकी पट्टा राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-

क/12 X ख

क = वार्षिक पट्टा राशि
ख = जितने माह पानी रहता है

1.4 5000 हे. से अधिक के जलाशयों में 5 वर्ष की अधिकतम 1 वर्ष के वास्तविक मत्स्य उत्पादन को विभागीय रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त राशि के आधार पर जलाशय की प्रारंभिक पट्टा राशि रखी जावेगी.

2. **पट्टा अवधि का निर्धारण :**

जलाशय की पट्टा अवधि 5 वर्ष की होगी, जिसके तहत् अवधि जलाशय का पट्टा जारी करने के दिनांक से पट्टा अवधि प्रारंभ होकर 30 जून तक की होगी. यदि यह अवधि 6 माह अथवा उससे अधिक की है तो पट्टाधारक को पूरे वर्ष की पट्टा राशि जमा करनी होगी. यदि पट्टा अवधि 6 माह से कम होती है, तो पट्टा राशि का 12 माह के आधार पर औसत निकालकर शेष अवधि के लिए पट्टा राशि की गणना कर पट्टा राशि दी जावेगी.

3. **जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने के लिए जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही एवं निर्देश :-**

3.1 विभागीय जिलाधिकारी को स्थानीय समाचार-पत्रों में निर्धारित प्रारूप अनुरूप विज्ञप्ति सूचना जारी करनी होगी.

3.2 विभागीय जिलाधिकारियों को जलाशय के कार्यक्षेत्र की स्थानीय सहकारी समितियों को जलाशय पट्टा विज्ञप्ति की सूचना लिखित रूप से दी जानी होगी, जिस पर समितियों से पावती ली जानी होगी.

3.3 विज्ञप्ति सूचना प्रकाशित होने एवं समितियों को लिखित सूचना दिए जाने के 15 दिवस के अंदर समितियों/समूहों के आवेदन पर निर्देश प्रक्रिया अंतर्गत परीक्षण उपरांत जलाशय की लीज राशि का निर्धारण कर पूर्ण अभिमत एवं अनुशंसा सहित प्रस्ताव संचालनालय मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ़ को एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना होगा.

3.4 विहित सक्षम प्राधिकारी (संचालक मत्स्योद्योग, छ. ग.) से पट्टा स्वीकृति अनुशंसा प्राप्त होने पर पट्टाधारक को सूचित कर 10 दिवस के अंदर निर्धारित लीज राशि जमा कर अनुबंध निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा जिसका पंजीयन पट्टाधारक से समयावधि में कराया जाना होगा.

4. **पट्टा स्वीकृति हेतु विहित सक्षम प्राधिकारी (संचालक मत्स्योद्योग, छ. ग.) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :-**

4.1 जलाशयों को पट्टे पर दिये जाने हेतु सहकारी समितियों के विधिवत् प्रस्ताव/आवेदन संबंधित जिलाधिकारी के अभिमत एवं अनुशंसा सहित प्राप्त होने तथा संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण होने की स्थिति में प्राप्त आवेदनों को परीक्षण पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित जिला अधिकारी को पट्टा जारी किए जाने एवं अनुबंध निष्पादन किएं जाने के अनुमति जारी की जानी होगी.

4.2 बिना किसी कारण बताए जलाशय को पट्टे पर दियां जाना अथवा नहीं दिये जाने का अधिकार विहित सक्षम प्राधिकारी (संचालक मत्स्येद्योग, छ. ग.) को होगा.

4.3 विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दी गई टीप एवं अभिमत सुझाव पर विभागाध्यक्ष (संचालक मत्स्योद्योग, छ. ग.) मछलीपालन, विभाग द्वारा निर्णय लिये जा सकेंगे.

अनुबंध-पत्रक एवं शर्तें (प्रारूप)

मत्स्योद्योग विभाग जिसे आगे प्रथम पक्षकार के नाम से संबोधित किया गया है तथा मछुआ सहकारी समिति/मछुआ समूह.....................................पता...
जिसे द्वितीय पक्षकार के नाम से संबोधित किया गया है, के मध्य पांच वर्षीय लीज का अनुबंध निष्पादित किया जाता है.

जलाशय जो कि जिले में है छत्तीसगढ़ राज्य की संपत्ति है, जिसमें मत्स्यपालन अधिकार राज्य शासन द्वारा विभाग का सौंपे गये हैं, को 5 फिशिंग वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर...समिति/समूह को लीज पर निम्नानुसार शर्तों के अधीन मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य पालन हेतु दिया जाता है. अत: यह अनुबंध आज दिनांक..................................को प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार...के मध्य जलाशय में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्यपालन हेतु दोनों पक्षों के स्वेच्छानुसार निम्नानुसार शर्तों पर पांच वर्ष हेतु दिनांक 15, जून, वर्ष................................ निष्पादित किया जाता है.

1. लीज अवधि के प्रथम दो वर्ष की वार्षिक लीज राशि रु.............................(शब्दों में)..हैं प्रथम वर्ष की लीज राशि में 10 प्रतिशत जोड़कर रु. ....(शब्दों में).. ....क्रमश: तीसरे एवं चौथे वर्ष की होगी. प्रथम वर्ष की लीज राशि को 10 प्रतिशत तीसरे वर्ष की राशि में जोड़ने पर रु. ....(शब्दों में)..रुपये पांचवें वर्ष की लीज राशि रु. रहेगी.

2. द्वितीय पक्षकार द्वारा कंडिका एक में बतलाये अनुसार परिगणित वार्षिक लीज राशि प्रथम पक्षकार को प्रतिवर्ष निम्नानुसार देनी होगी :-

			अंकों में	शब्दों में
1.	प्रथम वर्ष	:		
2.	द्वितीय वर्ष	:		
3.	तृतीय वर्ष	:		
4.	चतुर्थ वर्ष	:		
5.	पंचम वर्ष	:		

3. लीज राशि 3 किश्तों में निम्नानुसार देय होगी :-

प्रथम किश्त	35 प्रतिशत	15 जून तक
द्वितीय किश्त	30 प्रतिशत	15 नवंबर तक
तृतीय किश्त	35 प्रतिशत	15 मार्च तक

यदि द्वितीय पक्षकार, उपरोक्त राशि निर्धारित तिथि पर जमा नहीं कर पाता है तो उसे इस हेतु लिखित आवेदन करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 15 दिन का समय दिया जा सकता है परन्तु इसे इस स्थिति में उक्त राशि पर 2 प्रतिशत मासिक दर से दण्ड स्वरूप राशि देय होगी. इसके बाद भी यदि द्वितीय पक्षकार द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो संयुक्त/उप/सहायक संचालक को यह अधिकार होगा कि वह मत्स्याखेट कार्य तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि अनुबंधित समिति देय लीज राशि एवं दण्ड ब्याज जमा नहीं कर देती. इस स्थिति में उक्त अवधि में मत्स्य उत्पादन नहीं होने से होने वाली हानि के लिए प्रथम पक्षकार जिम्मेदार नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में विभाग मत्स्याखेट की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए स्वंत्रत रहेगा. स्थिति अनुसार संयुक्त/उप/सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा.

अनुबंध की अन्य शर्तें :-

(1) म. प्र. नदीय नियम वर्तमान छ. ग. नदी नियम अंतर्गत बंद ऋतु (16 जून से 15 अगस्त तक) में प्रतिवर्ष जलाशय में मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस अवधि के दौरान जलाशय में संरक्षण का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्षकार का रहेगा परन्तु इस कार्यवाही में प्रथम पक्षकार सहायता करेगा एवं द्वितीय पक्षकार समय-समय पर मत्स्य संरक्षण हेतु प्रथम पक्षकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा. बंद ऋतु के दौरान अथवा द्वितीय पक्षकार के माध्यम से जब्त की गई हो, विभाग की संपत्ति मानते हुए इसके डिस्पोजल का एवं उससे प्राप्त आय का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्षकार को होगा.

(2) जलाशय में मत्स्याखेट एवं आखेटित मत्स्य के विक्रय का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्षकार का रहेगा. द्वितीय पक्षकार का यह दायित्व होगा कि वह अपनी समिति/समूह के सदस्यों को ही मत्स्याखेट का कार्य प्राथमिकता के आधार पर दे.

(3) मछुओं द्वारा जलाशय में आखेट की गई मछली का पारिश्रमिक विभाग द्वारा निर्धारित दरों अनुसार प्रदाय करने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा. किसी भी स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित दर से कम पारिश्रमिक भुगतान मान्य नहीं होगा.

वर्तमान में विभाग की श्रेणीवार निर्धारित पारिश्रमिक दरें निम्नानुसार लागू है. भविष्य में यदि पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की जाती है तो द्वितीय पक्षकार का दायित्व होगा कि वह बढ़ी हुई दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करें.

1.	कतला 5 किलो से बड़ा	रु. 13.00 प्रतिकिलो
2.	कतला 3 किलो से बड़ा एवं 5 किलो से छोटा	रु. 12.00 प्रतिकिलो
3.	अन्य मेजर कार्प 1 किलो से बड़ी	रु. 10.00 प्रतिकिलो
4	लोकल मेजर (एक किलो से बड़ी) एवं पाबदा सभी साईज की.	रु. 14.00 प्रतिकिलो
5.	कालबासू (आधा किलो से बड़ा)	रु. 08.00 प्रतिकिलो
6.	लोकल माइनर एवं आधा किलो से छोटी लोकल मेजर एवं कालबासू	रु. 04.50 प्रतिकिलो

(4) इस अनुबंध के तहत संपादित कार्य के विपक्ष में शासन द्वारा किसी भी प्रकार का कर अथवा स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है तो वह द्वितीय पक्षकार को देना होगा.

(5) म. प्र. वर्तमान छ. ग. फिशरीज एक्ट एवं नदीय नियमों का द्वितीय पक्षकार को पालन करना होगा.

(6) जलाशयों में संरक्षण का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा.

(7) द्वितीय पक्षकार को महासंघ द्वारा मत्स्याखेट/मत्स्यापालन हेतु दिया गया कार्य अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा.

8. जलाशय में मत्स्यबीज संचयन :

8.1 जलाशय में प्रतिवर्ष हैक्टेयर की दर से मत्स्य अंगुलिकायें (50 एम. एम. साईज के ऊपर) का संचयन किया जाना है जिसमें कतला 60 प्रतिशत, रोहू 20 प्रतिशत, मृगल 20 प्रतिशत के अनुपात में होना चाहिए.

8.2 प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक मत्स्यबीज संचयन का दायित्व द्वितीय पक्षकार का रहेगा. यह मत्स्यबीज जिलाधिकारी द्वारा पूर्ति की जावेगी.

8.3 विभाग द्वारा मत्स्यबीज की पूर्ति स्थानीय मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों से/महासंघ की हैचरियों से निर्धारित दर पर द्वितीय पक्षकार को विक्रय की जावेगी. द्वितीय पक्षकार को विभाग/महासंघ के मत्स्यबीज की पूर्ति न होने की स्थिति में ही अन्य स्रोतों से मत्स्यबीज क्रय कर संचयन का अधिकार होगा. इस हेतु द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा.

8.4 अन्य स्रोतों से क्रय मत्स्यबीज का प्रमाणीकरण प्रथम पक्षकार के प्रतिनिधि के द्वारा किये जाने पश्चात् ही मत्स्यबीज संचय की अनुमति जलाशय के संयुक्त/उप/सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा दी जाएगी.

8.5 विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष संचय किये गये मत्स्यबीज को ही प्रथम पक्षकार द्वारा मान्य किया जायेगा. विवाद की स्थिति में संचालक मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ़ रायपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्ष को मान्य होगा.

8.6 द्वितीय पक्षकार के पास यदि मत्स्यबीज संवर्धन हेतु संवर्धन क्षेत्र उपलब्ध हो तो वह प्रथम पक्षकार से निर्धारित दर पर स्पॉन/अर्ली फ्राई क्रय कर मत्स्यबीज संवर्धन कर जलाशय में संचय कर सकता है. किन्तु संवर्धन एवं मत्स्यबीज संचय का कार्य विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार ही करना होगा.

9. द्वितीय पक्षकार द्वारा कतला 2 किलो से छोटा एवं अन्य मेजर कार्प 1 किलो से कम वजन नहीं पकड़ी जाएगी. यदि इस साईज की मछलियां जाल में फंस जाती तो उन्हें जीवित अवस्था में जलाशय में वापस छोड़ना होगा अन्यथा ऐसी मछली पर द्वितीय पक्षकार को दण्ड स्वरूप रु. 25 प्रतिकिलो की दर से राशि प्रथम पक्षकार को देनी होगी. यह राशि लीज/रायल्टी राशि के अतिरिक्त होगी.

10. द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्धारित माप के फंदा के कम माप के जाल का उपयोग नहीं किया जायेगा. वह जलाशय में मत्स्याखेट करने वाले अन्य मछुओं को ऐसे जाल का उपयोग भी नहीं करने देगा. ऐसे जाल का उपयोग होते हुए पाए जाने पर उन्हें प्रथम पक्षकार राजसात कर सकता है.

11. द्वितीय पक्षकार द्वारा किसी प्रकार की विषैली वस्तु, विस्फोटक पदार्थ या कोई घातक पदार्थ का जलाशय में उपयोग नहीं किया जायेगा.

12. द्वितीय पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को विभाग के निर्धारित प्रपत्र में मछली का वजन एवं संख्या का दैनिक रिकार्ड रखना होगा. द्वितीय पक्षकार जलाशय पर आखेटित मछली के तौल एवं समय की जानकारी प्रथम पक्षकार को देनी होगी ताकि विभाग के अधिकारी तौल के समय उपस्थित रह सकें.

12.1 द्वितीय पक्षकार को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों अनुसार जानकारी प्रथम पक्षकार को लिखित रूप से प्रतिमाह देनी होगी.

12.2 यदि जलाशय में एक से अधिक समिति कार्य करती हैं तो द्वितीय पक्षकार को उनकी अलग-अलग रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में रखनी होगी तथा आवश्यकतानुसार प्रथम पक्षकार को नियमित उपलब्ध कराना होगा.

12.3 द्वितीय पक्षकार से मत्स्य उत्पादन/समिति से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी प्रथम पक्षकार की मांगे जाने पर लिखित रूप में उपलब्ध करानी होगी.

13. विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा जलाशय की चैकिंग एवं संरक्षक का कार्य किसी भी समय जलाशय के अंदर एवं बाहर किया जा सकता है. जिस पर द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.

14. दैनिक मत्स्य उत्पादन का 20 प्रतिशत तक मछली स्थानीय मांग होने के दशा में निर्धारित दरों पर विक्रय हेतु बाध्य रहेगा.

15. जलाशय में जल स्तर बढ़ने, जलीय वनस्पति बढ़ने, पानी की ठूंठ, मछली की बीमारी या अन्य कोई प्राकृतिक विपदाओं के कारण मत्स्याखेट में बाधा के कारण मत्स्य उत्पादन प्रभावित होता है तो इस हेतु द्वितीय पक्षकार किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा.

16. द्वितीय पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही जलाशय में मत्स्याखेट एवं मत्स्य विक्रय आदि कार्यवाही संपादित करे.

17. द्वितीय पक्षकार या उसके द्वारा अधिकृत (व्यक्ति) जलाशय तथा वहां स्थित शासकीय संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगा. क्षति होने के दशा में द्वितीय पक्षकार को सिंचाई विभाग, वन विभाग, मत्स्य विभाग आदि के अधिकारी के निर्णयानुसार क्षतिपूर्ति करना होगा.

18. किसी भी शर्तों में संशोधन का अधिकार संचालक मत्स्योद्योग को होगा जिस हेतु आवश्यकता पड़ने पर पूरक अनुबंध किया जा सकता है जो दोनों पक्षों को मान्य होगा.

19. मत्स्याखेट में स्थानीय मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को प्राथमिकता देने हेतु द्वितीय पक्षकार बाध्य होगा. बिना जिला अधिकारी की अनुमति के बाहर के मछुआ श्रमिकों से कार्य कराना वर्जित होगा.

20. अनुबंध/लीज पट्टा की शर्तों की किसी भी धारा के पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उल्लंघन होने पर प्रथम पक्षकार एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है, जिसमें द्वितीय पक्षकार कोई आपत्ति नहीं ले सकेगा.

21. मछुआ के हितार्थ/उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/जिला प्रशासन के माध्यम से चलाई जाती है या चलाई जा रही हैं को लागू करने हेतु द्वितीय पक्षकार बाध्य रहेगा.

22. पट्टे को शासित करने वाली शर्तें भी अनुबंध की शर्तों का अभिन्न अंग होगी जो द्वितीय पक्षकार को मान्य होगा.

23. इस अनुबंध/विज्ञप्ति को शासित करने वाले नियम एवं शर्तों से संबंधित एवं इस अनुबंध की अवधि में अथवा बाद में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में यह विवाद का एक पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस देकर विवाद निर्णित/अवार्ड हेतु एकमेव आर्बीट्रेटर संचालक मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ़ होंगे. आबीट्रेटर का निर्णय/अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा. आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पन्न होगी.

24. दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के लिए स्थानीय जिला न्यायालय को क्षेत्राधिकार रहेगा.

यह अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा निम्नलिखित साक्ष्यों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया.

साक्षीगण

नाम :-
पता :- **प्रथम पक्षकार**

नाम :-
पता :- **द्वितीय पक्षकार**

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 15 फरवरी 2008

क्रमांक 24/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	पी. व्ही.-133 अवधपुर	7.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	लघु जलाशय पी. व्ही.-133 योजना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक/अ. वि. अ./भू-अर्जन/08/अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
			(1)	(2)		
रायपुर	गरियाबंद	परसदाखुर्द	112/17	0.024	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोटरी नाला जलाशय योजना के अंतर्गत.
			112/28	0.073		
		कुल योग	**02**	**0.097**		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक/अ. वि. अ./भू-अर्जन/09/अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
			(1)	(2)		
रायपुर	गरियाबंद	आड़पाथर	145	0.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	गिरसूल व्यपवर्तन के डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			238	0.24		
			146	0.13		
			104	0.07		
			147	0.33		
			159	0.67		
			148	0.03		
			149	0.12		
			158	0.12		
			144	0.15		
			154	0.11		
			160	0.39		
			240	0.06		
			247	0.06		
			241	0.30		
			236	0.08		
			246	0.11		
			257	0.17		
			237	0.04		
			239	0.05		
			244	0.20		
			279	0.56		
			277	0.30		
			292	0.18		
			102	0.28		
		कुल योग	**25**	**5.06**		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक/अ. वि. अ./भू-अर्जन/11/अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	घटौद	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घटौद जलाशय के नहर निर्माण हेतु.
			(1)	(2)		
			406	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			466	0.07		
			409	0.16		
			465/2	0.04		
			465/3	0.04		
			544	0.02		
			408	0.04		
			413/2	0.12		
			414	0.04		
			415	0.15		
			420	0.01		
			600	0.02		
			602	0.22		
			604	0.01		
		कुल योग	**14**	**1.05**		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 2/अ. 82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोड़ी प. ह. नं. 7	5.260	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 3/अ. 82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिल्लीबंद प. ह. नं. 14	8.061	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 4/अ. 82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमाली प. ह. नं. 14	15.463	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2008

क्रमांक 102/प्र-1/अ. वि. अ./07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	लिमोरा	1.19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद, संभाग बालोद.	पीपरछेड़ी- लिमोरा पहुंच मार्ग में भूमि अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2008

क्रमांक 102/प्र.-1/अ. वि. अ./07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	पीपरछेड़ी	2.47	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बालोद, संभाग बालोद.	पीपरछेड़ी लिमोरा पहुंच मार्ग में भूमि अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जनवरी 2008

क्रमांक /198 /अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	रजही प. ह. नं. 19	1.75	कार्यपालन अभियंता तांदुला जलसंसाधन संभाग-दुर्ग.	नवापारा जलाशय के अन्तर्गत नहर नाली एवं रपटा निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2008

क्रमांक 185 /प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	ढ़ौर प. ह. नं. 12	5.36	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग- दुर्ग.	करंजा भिलाई जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2008

क्रमांक 188 /प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गफुट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	रिसाली प. ह. नं. 19	100 वर्गफुट	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, दुर्ग.	पेयजल नलकूप हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2008

क्रमांक 191 /प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	जेवरा प. ह. नं. 09	0.03	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु संभाग, रायपुर.	समोदा नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2008

क्रमांक 194 /प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बासीन प. ह. नं. 11	1.60	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग - दुर्ग.	करंजा भिलाई जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2008

क्रमांक 239 /अ/82/सन् 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	ठकुराइनटोला प. ह. नं. 29	0.05	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	खारून नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 जनवरी 2008

क्रमांक 241/अ/82 सन 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिकोला प. ह. नं. 13	0.24	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण, राजनांदगांव.	पहुंच मार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक /क/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-ऋषभतीर्थ, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.161 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	241	0.024
	242/1	0.028
	243	0.089
	245	0.020
योग	04	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरीपारा मार्ग पर दमोह नाला पर पुल एवं पहुंच निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2008

क्रमांक /अ. वि. अ./भू-अर्जन/08/अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-राजिम
   (ग) नगर/ग्राम-राजिम प. ह. न. 09
   (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
17/1	0.075
17/4	0.026
कुल योग 02	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजिव लोचन मंदिर पहुंच मार्ग के अन्तर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक /क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./01/अ-82/वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-रायपुर
   (ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 111
   (घ) लगभग क्षेत्रफल - 30.764 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा. (हेक्टेयर में) (2)
68	0.259
73	5.087
79	0.503
81	0.004
82	2.837
333	0.109
607	0.999
609	0.024
610	0.409
617	1.076
628	4.141
630	5.322
638	3.358
664	1.032
683	1.469
684	1.392
689	1.331
694	1.412
कुल योग	30.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पिरदा रायपुर प. ह. नं. 111, रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2008

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.052 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
429/5	0.061
213/4	0.182
278/1	0.105
279/2	0.299
106/2	
108	0.405
109	
110	
योग 5	1.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध एवं पाईप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2008

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.130 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
124/3	0.164
126/2	
203/6	
211/3	
213/3	
218/2	
118/2	0.243
119	
120	0.036
121/2	
76/2	0.121
76/3	
210	0.081
79/2	0.336
81/2	
79/1	0.405
76/1 क	0.372
77/1	
76/1 ख	0.182
92/1	0.588
92/3	0.259
215	1.049
216	
217	
220	
योग 12	4.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध एवं पाईप लाईन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

क्रमांक 11391 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

1. मकान/कोठार/बाड़ी एवं अन्य सम्पत्ति का वर्णन :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-भांठाबम्हनी प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल -(अ) मकान की संख्या - 78

(ब) मकान निर्मित क्षेत्रफल 6359.18 वर्ग मीटर

(स) कोठार/बाड़ी क्षेत्रफल 6324.29 वर्ग मीटर

(द) विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की संख्या 109 नग

क्र.	नाम मकान मालिक मय वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	मकान स्थित भूमि का प्रकार	मकान का प्रकार	छत छप्पर का प्रकार	मकान का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कुओं का प्रकार	कुओं का क्षेत्रफल गहरा/चौड़ा (फिट में)	कोठार बाड़ी का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	विभिन्न वृक्षों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	माखन-जगेशर	194/2 टु.	0.010	आबादी	कच्चा मकान	खपरैल	43.32	-	-	-	-
2.	घनाराम-माखन	-	-	-	,,	,,	32.86	-	-	-	-
3.	विष्णुराम-माखन	-	-	-	,,	,,	25.00	-	-	-	-
	योग	**1**	**0.010**				**101.18**				**04**
4.	पल्टूराम-आशाराम	194/2 टु. 194/2	0.020	आबादी	,,	,,	126.70	-	-	73.30	04
5.	महेन्द्रदास-ढोला	194/2 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	75.00	-	-	25.00	-
6.	चैनसिंह-दूरदेशी	194/1 टु.	0.020	आबादी	,,	,,	76.60	-	-	123.40	-
7.	केवलसिंह-तुलसी	194/2 टु.	0.020	आबादी	,,	,,	66.00	-	-	134.40	-
8.	मेहतर-तुलसी	194/2 टु.	0.004	आबादी	,,	,,	40.00	-	-	0.00	-
9.	चंदूराम-घसिया	194/2 टु.	0.020	आबादी	,,	,,	92.31	-	-	107.69	03
10.	राधेलाल-उदेलाल	194/2 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	101.18	-	-	0.00	01
11.	फेरू-रामसिंग	194/2 टु.	0.014	आबादी	,,	,,	105.42	-	-	34.58	01
12.	सुखराम-देवनाथ	194/2 टु.	0.020	आबादी	,,	,,	123.43	-	-	76.57	03
13.	पुनाराम-मदराजी	194/2 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	57.13	-	-	42.87	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14.	नंदलाल-घसिया	194/2 टु.	0.020	आबादी	कच्चा मकान	खपरैल	105.78	-	-	94.22	02
15.	दसरू-ननकू	194/2 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	101.00	-	-	0.00	06
16.	लक्ष्मन-खोरबाहरा	194/2 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	85.96	-	-	14.04	06
17.	लच्छन-सुखदास	194/3 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	0.62	-	-	61.39	01
18.	कन्हैया-मंगलू	194/2 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	36.30	-	-	63.70	-
19.	बिरसिंग-शंकर	194/2 टु.	0.012	आबादी	,,	,,	102.39	-	-	17.61	-
20.	पुसऊ-बुधू	194/2 टु.	0.020	आबादी	,,	,,	105.96	-	-	94.04	02
21.	निरधा-भूतिहार	194/2 टु.	0.005	आबादी	,,	,,	51.00	-	-	0.00	05
22.	बिसालू-बुधू	194/2 टु.	0.020	आबादी	ईंट जुड़ा कच्चा मकान	,,	133.56	-	-	66.44	07
23.	देवीलाल-बोहरू	194/1 टु.	0.010	आबादी	कच्चा मकान	,,	77.00	-	-	23.00	02
24.	हीरालाल-फिरतू	194/2 टु.	0.018	आबादी	,,	,,	100.00	पक्का	70'/40'	80.00	01
25.	बिसाल-फिरतू	194/2 टु.	0.020	आबादी	,,	,,	78.65	-	-	121.35	-
26.	राजकुमार-सखाराम	179/2 टु.	0.028	आबादी	,,	,,	207.38	हेंड पंप	250'	72.62	09
27.	ग्वाल-धुरसिंग	179/3 टु.	0.016	आबादी	,,	,,	77.72	-	-	82.28	-
28.	पुनाराम-धुरसिंग	179/3 टु.	0.016	आबादी	,,	,,	14.00	-	-	0.00	-
29.	अमरनाथ-राधेलाल	194/2 टु.	0.012	आबादी	,,	,,	23.46	-	-	96.54	-
30.	देवारू-छबिलाल	194/4 टु.	0.007	आबादी	,,	,,	70.00	-	-	0.00	-
31.	कन्हैया-गेंदलाल	194/4 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	91.64	-	-	8.36	-
32.	सुन्दरू-गेंदलाल	194/4 टु.	0.005	आबादी	,,	,,	51.00	-	-	0.00	-
33.	नोहर-शंकरलाल	194/3 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	32.34	-	-	67.66	-
34.	लखन-सुखदास	194/3 टु.	0.020	आबादी	कच्चा मकान	खपरैल	80.88	-	-	119.12	-
35.	बिरझू-थानु	194/4 टु.	0.010	आबादी	ईंट जुड़ा कच्चा मकान	खपरैल	56.33	-	-	-	-
					पक्का मकान	आर. सी. सी. छत	20.06	-	-	-	-
	योग						**76.39**	-	-	**23.21**	-
36.	धन्नू-दयाराम	194/2 टु.	0.016	आबादी	कच्चा मकान	खपरैल	113.70	-	-	46.30	-
37.	लुदूराम-डुगरू	194/2 टु.	0.004	आबादी	ईंट जुड़ा कच्चा मकान	खपरैल	37.24	-	-	2.76	-
38.	धन्नू-लतेल	194/1 टु.	0.008	आबादी	कच्ची ईंट जुड़ाई	,,	57.72	-	-	22.28	-
39.	साखन-झगरू	194/4 टु.	0.044	आबादी	कच्चा मकान	,,	95.60	-	-	344.40	-
40.	पूनाराम-लक्षमन	194/1 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	28.00	-	-	72.00	-
41.	ज्ञानिक-झगरू	194/2 टु.	0.008	आबादी	,,	,,	81.00	-	-	0.00	06
42.	कार्तिक-फूलसिंग	194/4 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	101.00	-	-	0.00	06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
43.	गौतरिहा-फूलसिंग	194/2 टु.	0.014	आबादी	कच्चा मकान	खपरैल	45.00	-	-	95.00	-
44.	नगीना-मदराजी	194/1 टु.	0.008	आबादी	,,	,,	21.46	-	-	58.54	-
45.	नरहरि-फूलसिंग	198	0.010	आबादी	,,	,,	90.72	-	-	9.28	-
46.	दयारू-आनंदराम	194/1 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	99.18	-	-	0.82	-
47.	रामरतन-मंगतू	194/1 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	96.80	-	-	3.20	-
48.	मनबोधी-दूरदेशी	193/2 टु.	0.020	आबादी	,,	,,	112.50	-	-	87.50	-
49.	बिहारी-बिसौहा	193/2 टु.	0.010	आबादी	,,	,,	69.30	-	-	30.70	-
50.	सेवकराम-भगतराम	188/2	0.012	भूमिस्वामी	कच्चा मकान फर्श पत्थर	खपरैल	205.74	-	-	158.49	-
		189	0.024	भूमिस्वामी	,,	,,	-	-	-	404.70	-
		140/4	0.032	भूमिस्वामी	,,	,,	-	-	-	-	-
		139 टु.	0.008	आबादी	,,	,,	-	-	-	-	-
	योग	**4**	**0.076**				**205.74**			**563.19**	**01**
51.	ओमप्रकाश-सीताराम	193/2 टु.	0.020	आबादी	कच्चा मकान फर्श पत्थर	,,	136.16	-	-	63.84	04
52.	लक्ष्मण-जंगलू	138 टु.	0.016	आबादी	कच्चा मकान	,,	86.00	-	-	74.00	-
53.	साहूकार-सोनू	138 टु.	0.020	आबादी	,,	,,	114.97	-	-	85.03	-
54.	प्रकाश-चैतू	183/4 टु.	0.004	भूमिस्वामी	कच्चा मकान फर्श पत्थर	खपरैल	40.00	-	-	0.00	-
55.	गोकुल-चैतू	184 टु.	0.032	भूमिस्वामी	,,	,,	256.65	-	-	67.52	-
56.	चैतू-मोतीराम	185/2	0.008	भूमिस्वामी	,,	,,	22.00	-	-	59.00	-
57.	तिलकराम-चैतू	184/1	0.003	भूमिस्वामी	,,	,,	30.00	-	-	0.00	-
	योग	**4**	**0.047**				**348.65**			**126.52**	-
58.	रामबिलास-गुहा	139 टु.	0.010	आबादी	ईंट जुड़ा कच्चा मकान	,,	42.40	-	-	-	-
		182	0.012	भूमिस्वामी	कच्चा मकान	,,	104.85	-	-		
	योग	**2**	**0.022**				**147.25**			**72.75**	-
59.	सालिक-वासुदेव	193/2 टु.	0.020	आबादी	कच्चा मकान	खपरैल आर. सी. सी. छत	105.89	-	-		
					ईंट की दीवार	आर. सी. सी. छत	88.32	-	-		
	योग						**194.21**			**5.79**	**02**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
60.	लेखूराम-मुरहा	137/1	0.012	भूमिस्वामी	कच्चा मकान	,,	18.45	-	-	101.55	-
61.	गौतम-मुरहा	137/1	0.012	भूमिस्वामी	कच्ची ईंट जुड़ाई	,,	42.64	-	-	77.36	-
62.	मनोहर-झड़ीराम	139 टु.	0.012	आबादी	कच्चा मकान	,,	72.14	-	-	47.86	-
63.	मंहगू-झड़ीराम	139 टु.	0.012	आबादी	,,	,,	72.39	-	-	47.61	-
64.	कृपाराम-छबिलाल	139 टु.	0.012	आबादी	,,	,,	69.34	-	-	50.66	-
65.	धुरबिन-सहदेव	139 टु.	0.024	आबादी	कच्ची ईंट जुड़ाई	,,	45.49	-	-	-	-
					कच्चा मकान	,,	45.90	-	-	-	-
	योग						**91.39**			**148.61**	**04**
66.	प्रीतम-नारायण	306/7	0.020	भूमिस्वामी	कच्ची ईंट जुड़ाई	खपरैल	62.44	-	-	137.56	-
67.	कृपाराम-अमृतराम	183/1	0.010	भूमिस्वामी	कच्चा मकान	,,	62.86	पक्का कुआं	65'/35'	37.14	06
68.	कुंवरसिंग-बन्नू	183/5	0.028	भूमिस्वामी	,,	,,	16.93	-	-	263.07	03
69.	दुखूराम-सुकालूराम	108/12	0.121	भूमिस्वामी	,,	,,	154.77	-	-	1055.23	01
70.	राजू-खिलावन	139 टु.	0.012	आबादी	,,	,,	9.67	-	-	150.33	-
		146/1	0.004	आबादी	,,	,,		-	-		
	योग	**02**	**0.016**				**9.67**	**-**	**-**	**150.33**	**-**
71.	कीर्तन-बालाराम	180/2	0.032	भूमिस्वामी	,,	,,	136.60	-	-	183.40	-
72.	बिंझवार-बलीराम	180/1	0.032	भूमिस्वामी	,,	,,	137.21	-	-	182.79	-
73.	देवनारायण-भोजराम	38	0.008	भूमिस्वामी	,,	,,	79.89	-	-	0.11	-
74.	दिलटोरिया-सोनू	71	0.010	भूमिस्वामी	,,	,,	42.48	-	-	57.52	10
75.	भागवत-चिंताराम	68/1	0.016	भूमिस्वामी	,,	,,	88.80	-	-	71.20	03
76.	सखाराम-दयाराम	68/2	0.024	भूमिस्वामी	,,	,,	100.58	-	-	139.42	02
77.	रामसाय-बन्नू	46/2, 3	0.012	भूमिस्वामी	,,	,,	94.90	-	-	25.10	05
78.	नरोत्तम-लतखोर	107/1	0.012	भूमिस्वामी	,,	,,	59.52	-	-	60.48	-
	महायोग	**82**	**1.285**				**6359.18**	**2 कुआं 01 हे. पं.**		**6324.29**	**109 नग**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक 1185 /भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पदुमतरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल -1.80 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1052	1.80
योग	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डगनिया जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक 1185 /भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कलकसा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3	0.78
योग	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलकसा जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक 1185 /भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
200/4	0.21
200/5	0.21
224/6	0.32
224/1	0.20
योग	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमलीडीह जलाशय के अन्तर्गत बांधपार एवं डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक 1185 /भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-घुमका, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1837/7	0.15
1908/1	0.08
योग	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रूसे जलाशय नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 फरवरी 2008

क्रमांक 1185 /भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-महरूमखुर्द, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल -10.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
25/5	0.15.
25/6	0.06
24	0.15
26	0.10
27	0.54
21/2	0.20
21/3	0.20
23	0.64
38	0.16
25/1	0.13
5	1.17
45	1.37
48/2	0.79
37/2	0.25
37/4	0.27
47/2	0.47
46	1.04
2	0.28
4	0.50
1	0.77
3	0.78
योग 21	10.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हडुवा जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक /भू-अर्जन/अ/82 वर्ष- 2007-08/1685.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-बगौद, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 70.62 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205	0.30
206/1	0.19
206/2	0.21
207	0.07
208	0.10
209	0.12
210	0.29
211/1	0.47
211/2	0.42
223	0.34
224	0.53
225	1.15
226	1.08
227	0.32
228	0.58
229	0.27
230	0.19
231	0.24
232	0.46
233	0.21
234	0.50
235	0.19
236	0.20
237	0.19
238	0.76
239	0.14
240	0.12
241	0.10
242	0.05
243	0.23
244	0.13
245	0.15
247	0.80
248	0.36
253	0.22
254	0.18
255	0.18
256	0.12
257	0.37
258	0.16
259	0.41
260	1.17
261	0.34
262	0.26
263	0.52
269	0.51
270	0.38
273	0.29
274	1.22
276	0.47
277	0.44
278	0.20
284	0.47
285/1	1.51
285/2	0.43
289	1.31
290	0.30
291	0.79
292	0.59
293	0.28
294	0.14
295/1	0.35
295/2	0.06
296	0.10
297	0.52
298	0.13
299	0.76
300	0.84
301	0.68
302	0.18
303	0.10
304	0.10
305	0.06

(1)	(2)
306	0.59
307	0.19
308	0.06
309	0.23
310/1	0.54
286	0.15
287	0.32
288	0.23
310/2	0.54
312	0.05
313	0.09
314	0.27
317	0.33
318	0.82
322	1.48
323	0.35
324	0.51
325/1	0.06
325/2	0.06
326	0.50
327	0.09
328	0.19
329	0.24
330	0.06
331	0.18
332	0.23
333	0.40
334	0.08
335	0.10
336	0.14
337	0.12
338	0.12
339	0.13
340	0.21
341	0.98
342	0.20
343	0.62
344	0.14
345	0.20
346	0.12
347	0.23
348	0.99
349/1	0.97
349/2	0.13
349/3	0.19
349/4	0.54
353	0.16
354	0.10
355	0.50
356	0.33
357	0.42
358	0.12
359	0.18
360	0.70
361	0.21
362	0.39
363	0.68
364/1	0.20
364/2	0.20
364/3	0.15
365	0.80
366	0.10
367	0.36
368	0.16
369	0.38
370	0.80
371	0.49
372	0.18
373	1.24
375	0.19
376	0.44
377	0.63
378	0.98
379	0.30
380	0.23
381	0.30
382	0.40
383	0.35
384	0.38
385	0.16
386	0.83
387	0.18
1392	0.12

(1)	(2)
1393	0.16
1394	0.27
1395	0.04
1396	0.15
1397	0.25
1405	0.33
1406	0.10
1407/1	0.42
1407/2	0.42
1407/3	0.43
1408	0.46
1409	0.55
1410	0.58
1411	0.46
1412	0.23
1413	0.07
1414	0.70
1415	0.70
1416	1.92
1423	0.17
1424	0.46
1425	0.23
1426	0.23
1427	0.52
1428	0.40
1429	0.33
1430	1.32
1435	0.81
योग 184	70.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हर्बल पार्क की स्थापना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी धमतरी, के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

रा. प्र. क्र. 24/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-नेवासपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/1	0.109
योग 1	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 1/अ- 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेन्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अंधियारखोह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76	0.150
73	0.287
योग 2	0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरहा जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

क्रमांक 3/अ- 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेन्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अंधियारखोह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74	0.077
93/1	0.190
118/4	0.138
175/2	0.040
118/5	0.154
122/5	0.129
177	0.045
83	0.049
166/3	0.178
175/3	0.324
108	0.113
168	0.008
169	
178	0.283
107/3	0.146
180	0.154
120	0.138
174	0.065
147	0.210
148	0.070
149	0.036
77	0.077
84	0.057
86/1	0.016
165/1	0.085
107/1	0.085
115/1	0.065

(1)	(2)
166/4	0.125
116	0.154
179	0.219
107/2	0.113
181/5	0.227
85	0.267
118/3	0.012
योग. 32	4.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेमरहा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2007

क्रमांक 7/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेन्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गांगपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.521 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
640	0.008
812	0.045
823/2	0.093
867/2	0.077
735/7	0.008
850/1	0.040
783	0.093
452/1	0.150
772/1	0.036
775	0.121
776	0.093
853/1	0.057
932/7	0.028
733	0.121
852	0.020
844	0.024
731	0.061
849/2	0.028
883	0.045
864/2	0.036
879/1	0.146
879/2	0.085
880/1	
881/1	
718/1	0.049
932/6	0.166
453/1	0.004
453/2	0.045
926/2	0.012
927	0.040
928	0.016
864/1	0.036
730	0.125
496	0.061
727	0.097
728	0.057
749	0.008
782/3	0.227
782/4	
782/5	
880/2	0.057
505/2	0.101
507	0.045
758	0.032
748	0.291
755	0.117
863	0.101
809	0.028
816/1	0.020
816/4	0.024
816/5	0.004
757	0.166
807/1	0.012
808/2	
867/1	0.081
641/1	0.028
486/2	0.036
754/2	0.158
446	0.194

(1)	(2)
454	0.154
720	0.158
765	0.178
813	0.061
825/2	0.077
760	0.073
771	0.032
878/1	0.065
880/3	0.057
881/1	0.016
882	0.028
777	0.154
718/2	0.166
849/1	0.028
862	0.036
497/3	0.105
767	0.170
754/1	0.162
898/1	0.065
506	0.061
764	0.283
845	0.081
898/2	0.065
781	0.069
811	0.016
759	0.125
899	0.097
618	0.089
766/2	0.073
497/2	0.020
877/1	0.125
877/2	0.121
772/2	0.36
938/ 1 क	0.089
850/2	0.040
734	0.154
622	0.036
623	0.049
625	0.040
768	0.113
769	0.004
770	0.032
878/2	0.065
योग 95	7.521

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गांगपुर जलाशय मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2007

क्रमांक 12/अ- 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेन्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-पंडरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.971 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
168/2	0.117
544/2	0.028
272/4	0.020
553/1 554/1	0.040
187	0.020
195	0.012
150	0.065
155/2	0.065
196/1 199/2	0.024
470/2	0.073
469	0.077
164/3 190/3	0.028
553/2	0.032
151/1 152/1	0.032
554/2	0.024
167/2	0.097
227	0.032
228	0.117

(1)	(2)
543/1	0.065
544/1	0.028
468	0.065
165/2 ख	
166/2	0.020
166/2	
190/1 ख	
219	0.097
466/2	0.117
481/1	
482	0.024
467	0.053
543/2	0.069
471/2	0.045
153	0.004
274	0.057
193	0.008
192/1	0.032
231/1	0.040
165/1 क	0.061
166	
190/1 क	
164/4	0.028
189/1	0.008
196/2	0.045
197/1	
198/1	
199/4	
230/2	0.093
230/1	0.089
554/4	0.020
योग 39	1.971

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2007

क्रमांक 13/अ- 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेन्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अमारू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.739 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.231
98	0.101
120	0.053
99	0.077
89	0.182
91	0.008
152	0.020
153	0.024
93	0.024
109/2	0.024
144/1	0.142
104	0.032
105	0.057
109/1	0.028
145/1	0.008
146	0.081
149/2	0.028
81	0.138
150	0.012
86	0.061
92	0.073
149/1	0.028
87	0.057
143	0.024
84	0.020
101	0.053
88	0.040
72/4	0.105
145/2	0.008
योग 29	1.739

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 25/अ- 82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेन्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बारीउमराव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.459 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	84/7	0.069
	137/2	0.020
	112/1	0.129
	85	0.105
	84/10	0.069
	84/5	0.129
	84/8	0.105
	5	0.085
	82	0.012
	83	0.061
	107	0.036
	108	0.045
	109	
	111	0.008
	113	0.004
	84/3	0.388
	114/1	0.040
	115/1	0.004
	138/2	0.012
	138/1 ग	0.138
योग	19	1.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 9-अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बीजा, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.813 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2030/5	0.004
	2030/2	0.012
	1827/2	0.008
	1955	0.032
	1812	0.032
	1813	
	1814	
	1815	
	1836	0.129
	1197	0.061
	1198	
	740	0.065
	741/1	0.065
	2103	0.004
	739	0.202
	2067	0.049
	2030/2	0.020
	2045	0.004
	747/1	0.081
	2114	0.045
	2115	
योग	16	0.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बीजा शाखा नहर के अंतर्गत बघेलकापा माईनर नं. 2 एवं बीजा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक 22/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-लोहड़िया, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.553 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/1	0.170
179/2	
181	0.255
263	0.049
276	
277/1	0.170
246/2	0.081
352/2	0.466
383/2	
168	0.012
169	
182	
183	0.121
184	0.053
262	0.162
264	
245	0.146
233	
234	
249	0.259
248	
247/2	
261/1	0.008
261/2	0.101
243	0.138
244	
277/2	0.259
258/1	0.040
255	0.223
257	
256/2	0.008
256/3	0.113
240/2	0.275
241/1	0.024
415	
241/2	0.218
256/1	0.004
387	0.364
389/1	
388	
389/2	
394	
395	
399/1	0.162
399/7	0.154
399/8	0.121
399/2	0.223
399/6	0.065
399/3	0.109
योग 31	4.553

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 17/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-तिलकडीह, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.295 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
188	0.049
119	0.117
144	0.129
योग 3	0.295

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चापी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 18/अ- 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
746/2	0.348
694	0.101
692/5	0.061
658/1	0.081
670	0.182
692/1	0.259
योग 6	1.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चापी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 23/अ- 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
574	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चापी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 24/अ- 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-चपोरा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.064 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	428/6	0.064
योग		0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चापी जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 25/अ- 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-आमामुडा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.186 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	341/1	0.186
योग		0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बानाबेल जलाशय वेस्ट वियर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 26/अ- 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-डोगी, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.102 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/6 4/3	0.053
	180/1	0.049
योग		0.102

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चापी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 27/अ- 82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरिया, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.983 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/2	0.101
78/1	0.040
16/7	0.045
178/4	0.045
178/5	0.004
16/8	0.052
18	0.097
19	
30	0.028
66	0.032
79	0.032
93	0.057
26/3	0.048
26/5	0.045
26/2	0.052
49/4	0.032
150/10	0.081
53/11	0.032
53/10	0.028
53/1	0.032
53/2	0.061
58/1	0.162
68	0.032
67/2	0.032
154	0.069
20	0.316
21	
22	
111/1	0.142
111/2	0.061
49/5	0.028
150/12	0.012
26/4	0.044
149	0.004
28/2	0.057
28/3	0.081
32/2	0.008
42/6	0.049
40/2	0.028
40/3	0.028
41/2	0.053
48/2	0.032
44	0.040
49/2	0.040
150/7	0.081
(1)	(2)
150/8	0.049
32/1	0.202
45	0.073
43/1	0.045
192/17	0.045
112/16	0.049
112/14	0.016
71	0.085
72/4	0.085
75/2	0.081
179/2	0.053
94/2	0.093
97	0.032
95	0.008
111/3	0.012
112/6	0.040
234/1	0.142
157	0.061
234/2	0.004
235/1 क	0.073
178/2	0.052
179/1	
233/2	0.049
366/1	0.158
476	0.028
478/2	0.146
28/1	0.162
11/1	0.214
12/1	
99/2	0.053
99/1	0.045
92/3	0.012
115/2	0.182
178/1	0.057
178/3	0.004
183/1	0.045
41/1	0.012
25/1	0.040
25/4	0.045
23/1	0.040
24/1	0.040

(1)	(2)
126/1	0.073
127	0.036
130/3	0.077
65	0.061
130/1	0.134
132	0.101
138/2	0.036
129	0.129
140/5	0.158
140/6	0.004
131/3	0.004
155	0.024
144	0.065
341	0.077
योग 98	5.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औरापानी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2008

क्रमांक 28/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
630/3	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चापी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2008

क्रमांक 22/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंडी, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.456 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/2	0.049
70/1 क	0.016
172	0.028
14/2	0.101
69/2	0.032
183/1	0.036

(1)	(2)
173	0.109
351/1 ख	0.097
110/5 110/6	0.073
559/1 ख	0.21
226	0.148
718/4	0.121
233/1	0.061
474/1	0.040
333/2	0.089
475	0.150
110/15	0.202
579	0.081
योग 18	1.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चापीं जलाशय मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2008

क्रमांक 01/अ- 82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भरनी, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
401/19	0.081
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरनी पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2008

प्रकरण क्रमांक. 1/अ- 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-उड़नताल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
185	0.077
186	0.057
187	0.048
योग	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोतिमपुर एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th December 2007

No. 9288/L. G./2007/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Principal Judge, Family Court, Raipur (C. G) is hereby, granted earned leave for 03 days from 23-1-2008 to 25-1-2008 with permission to suffix holidays of 26-01-2008 & 27-01-2008 along with permission to leave headquarters from the evening of 22nd January, 2008 till morning of 28th January, 2008.

On return from leave Smt. Mathur is posted on the same post on which she was posted prior to her proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 35 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 11th January 2008

No. 10/Confdl./2008/II-1-1/2008 (Pt.-A).—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13030/2/2007-US-II dated January 9, 2008 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Tankeshwar Prasad Sharma has assumed charge of the office of Additional Judge of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in the afternoon of January 11, 2008.

बिलासपुर, दिनांक 14 जनवरी 2008

क्रमांक 447/तीन-10-8/2000 (V).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 8116/तीन-10-8/2000 भाग-पांच, दिनांक 19 नवम्बर 2007 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-1/2003/366/21-ब/2008, दिनांक 10-01-2008 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 21 जनवरी, 2008 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे—

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
				2. नारायणपुर	1	2. कोण्डागांव	1
						3. नारायणपुर	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	7	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	9
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1	2. पेण्ड्रारोड	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. बिल्हा	1
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	1	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
4.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
						2. कुरूद	1
						3. नगरी	1
5.	दुर्ग	1. दुर्ग	6	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	10
		2. बालौद	1	2. बालौद	1	2. बालौद	2
		3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	2
						4. गुण्डरदेही	1
						5. पाटन	1
6.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	1	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	1	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
						3. डभरा	1
						4. चांपा	1
7.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
						2. पत्थलगांव	1
						3. कुनकुरी	1
						4. बगीचा	1
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	-	-	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
9.	कोरबा	1. कटघोरा	1	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
				2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
10.	कोरिया (बैकुण्टपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
						3. चिरमिरी	1
11.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महामसुंद	2
						2. सरायपाली	1
12.	रायगढ़	1. रायगढ़	1	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1			2. धर्मजयगढ़	1
						3. घरघोड़ा	1
						4. सारंगढ़	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	रायपुर	1. रायपुर	8	1. रायपुर	6	1. रायपुर	14
		2. बलौदा बाजार	2	2. बलौदाबाजार	1	2. बलौदाबाजार	1
		3. भाटापारा	1	3. गरियाबंद	1	3. गरियाबंद	1
		4. गरियाबंद	1			4. भाटापारा	1
						5. राजिम	1
						6. सिमगा	1
						7. बिलाईगढ़	1
						8. कसडोल	1
						9. तिल्दा	1
						10. देवभोग	1
14.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदन	1
15.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	2	1. अम्बिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. सूरजपुर	1	2. रामानुजगंज	1	2. प्रतापपुर	1
				3. सूरजपुर	1	3. सूरजपुर	2
						4. वाड्रफनगर	1
						5. सीतापुर	1
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
						2. भानुप्रतापपुर	1
						3. पखांजुर	1

Bilaspur, the14th January 2008

No. 447/III-10-8/2000 (V).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 8116/III-10-8/2000 Part-V, dated 19th November 2007, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. F-1-1/2003/366/21-B/08 dated 10-01-08 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the 21st January 2008 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
				2. Narayanpur	1	2. Kondagaon	1
						3. Narayanpur	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Bilaspur	1. Bilaspur	7	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	9
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	1	2. Pendra Road	1
		3. Pendra Road	1	3. Pendra Road	1	3. Bilha	1
3.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	1	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	1	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
4.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
						2. Kurud	1
						3. Nagri	1
5.	Durg	1. Durg	6	1. Durg	3	1. Durg	10
		2. Balod	1	2. Balod	1	2. Balod	2
		3. Bemetara	1	3. Bemetara	1	3. Bemetara	2
						4. Gunderdehi	1
						5. Patan	1
6.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	1	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	1	2. Sakti	1	2. Sakti	1
						3. Dabhra	1
						4. Champa	1
7.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
						2. Patthalgaon	1
						3. Kunkuri	1
						4. Bagicha	1
8.	Kabeerdham (Kawardha)	--	-	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
9.	Korba	1. Katghora	1	1. Korba	2	1. Korba	1
				2. Katghora	1	2. Katghora	1
10.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
						3. Chirmiri	1
11.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
						2. Saraipali	1
12.	Raigarh	1. Raigarh	1	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1			2. Dharamjaigarh	1
						3. Gharghora	1
						4. Sarangarh	1
13.	Raipur	1. Raipur	8	1. Raipur	6	1. Raipur	14
		2. Balodabazar	2	2. Balodabazar	1	2. Balodabazar	1
		3. Bhatapara	1	3. Gariyaband	1	3. Bhatapara	1
		4. Gariyaband	1			4. Gariyaband	1
						5. Rajim	1
						6. Simga	1
						7. Bilaigarh	1
						8. Kasdol	1
						9. Tilda	1
						10. Devbhog	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh	2 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh-chowki. 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 1 1 1	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh 4. Chhuikhadan	3 1 1 1
15.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Surajpur	2 1	1. Ambikapur 2. Ramanujganj 3. Surajpur	2 1 1	1. Ambikapur 2. Pratappur 3. Surajpur 4. Wadraf Nagar 5. Sitapur	5 1 2 1 1
16.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker 2. Bhanupratappur 3. Pakhanjur	1 1 1

Bilaspur, the 16th January 2008

No. 110/Confdl./2008/II-2-90/2001 (Pt. III).— Shri Sandeep Bakshi, Member of Higher Judicial Service, presently posted as District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara), is appointed as Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 16th January 2008

No. 112/Confdl./2008/II-2-1/2008.— Shri Narendra Singh Chawla, Additional District & Sessions Judge, Dantewara is hereby appointed as officiating District & Sessions Judges for the Civil District Dakshin Bastar (Dantewara), in additional to his present assignment from date he assumes charge of his office till the regular District & Sessions Judge is posted for the Civil District Dakshin Bastar (Dantewara).

Bilaspur, the 16th January 2008

No. 114/Confdl./2008/II-3-1/2008.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

Sr. No.	Name of Civil Judge Class-II	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Smt. Leena Agrawal, II Civil Judge Class-II.	Raipur	Rajim	Raipur	Civil Judge Class-II
2.	Shri Balaram Sahu, XI Civil Judge Class-II	Raipur	Simga	Raipur	Civil Judge Class-II
3.	Ku. Garima Arya, Civil Judge Class-II.	Baloda-Bazar	Bilaigarh	Raipur	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Smt. Shraddha Shukla, VI Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Kasdol	Raipur	Civil Judge Class-II
5.	Shri Niranjan Lal Chouhan, Civil Judge Class-II.	Bhatapara	Tilda	Raipur	Civil Judge Class-II
6.	Shri Rakesh Kumar Verma Civil Judge Class-II.	Gariyaband	Devbhog	Raipur	Civil Judge Class-II
7.	Shri Kamlesh Jurri, X Civil Judge Class-II.	Raipur	Raipur	Raipur	XIII Civil Judge Class-II
8.	Shri Mukesh Kumar Patre, VIII Civil Judge Class-II.	Raipur	Raipur	Raipur	XIV Civil Judge Class-II
9.	Ku. Nidhi Sharma, Civil Judge Class-II.	Kawardha	Pandariya	Kabirdham (Kawardha)	Civil Judge Class-II
10.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi, Civil Judge Class-II.	Khairagarh	Chhuikhadan	Rajnandgaon	Civil Judge Class-II
11.	Shri Lavkesh Pratap Singh Baghel, III Civil Judge Class-II.	Durg	Gunderdehi	Durg	Civil Judge Class-II
12.	Shri Kamlesh Jagdalla, VII Civil Judge Class-II.	Durg	Patan	Durg	Civil Judge Class-II
13.	Shri Chandra Kumar Kashyap, IV Civil Judge Class-II.	Durg	Durg	Durg	X Civil Judge Class-II
14.	Shri Shahabuddin Qureshi, II Civil Judge Class-II.	Dhamtari	Nagari	Dhamtari	Civil Judge Class-II
15.	Shri Purushottam Singh Markam, Civil Judge Class-II.	Bhanu-pratappur	Pakhanjur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-II
16.	Shri Vivek Kumar Verma, II Civil Judge Class-II.	Dantewara	Bacheli	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-II
17.	Smt. Sunita Toppo, Civil Judge Class-II.	Sakti	Dabhra	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
18.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan I Civil Judge Class-II.	Janjgir	Champa	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
19.	Shri Mahesh Kumar Raj, Civil Judge Class-II.	Pratappur	Wadrafnagar	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II
20.	Shri Vivek Kumar Tiwari, II Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Sitapur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II
21.	Shri Leeladharsay Yadav, V Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	II Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Shri Aditya Joshi, Civil Judge Class-II.	Manendra-garh.	Chirmiri	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
23.	Shri Rajendra Kumar Verma, Civil Judge Class-II.	Bijapur	Kunkuri	Jashpur	Civil Judge Class-II
24.	Shri Vijay Kumar Sahu, Civil Judge Class-II.	Jashpur	Bagicha	Jashpur	Civil Judge Class-II
25.	Shri Atul Kumar Shrivastava, VIII Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bilha	Bilaspur	Civil Judge Class-II

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2008

क्रमांक 530/तीन-6-1/2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी को न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :—

अनु.	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के नाम	वर्तमान पदस्थापना	सिविल जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनिल कुमार बारा	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
2.	श्री किरण कुमार जांगडे	बिलासपुर	बिलासपुर
3.	श्री एस. एस. कश्यप	बिलासपुर	बिलासपुर
4.	श्रीमती श्रद्धा आकाश श्रीवास्तव	बिलासपुर	बिलासपुर
5.	कु. संजया रात्रे	बिलासपुर	बिलासपुर
6.	श्री जगदीश राम	राजनांदगांव	राजनांदगांव
7.	श्री यशपाल सिंह टंडन	दुर्ग	दुर्ग
8.	श्रीमती योगिता गडपायले	दुर्ग	दुर्ग
9.	कु. द्वारिका तिडके	दुर्ग	दुर्ग
10.	कु. सरिता दास	रायगढ़	रायगढ़
11.	कु. मोहिनी कंवर	रायगढ़	रायगढ़
12.	श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर	बैकुंठपुर	बैकुंठपुर
13.	श्री कमलेश कुमार जूरी	रायपुर	रायपुर
14.	श्री मुकेश कुमार पात्रे	रायपुर	रायपुर
15.	श्री प्रमोद सिंह परस्ते	जगदलपुर	जगदलपुर

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 640/तीन-22-3/2008 (बिलाईगढ़-बलौदा बाजार).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बिलाईगढ़ अपने घोषित कार्यस्थल बिलाईगढ़ के अतिरिक्त बलौदाबाजार में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 1019/तीन-22-3/2000 (बलौदा बाजार-बिलाईगढ़), दिनांक 08-2-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बलौदा बाजार की श्रृंखला न्यायालय बिलाईगढ़ से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 640/III-22-3/2008 (Bilaigarh-Baloda Bazar).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Bilaigarh in addition to his place of sitting at Bilaigarh declared shall also sit at Baloda Bazar to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No. 1019/III-22-3/2000 (Baloda Bazar- Bilaigarh) dated 08-02-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class I, Baloda Bazar at Bilaigarh is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 641/तीन-22-3/2008 (तिल्दा-भाटापारा).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तिल्दा अपने घोषित कार्यस्थल तिल्दा के अतिरिक्त भाटापारा में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 641/III-22-3/2008 (Tilda-Bhatapara).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Tilda in addition to his place of sitting at Tilda declared shall also sit at Bhatapara to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 642/तीन-22-3/2008 (देवभोग-गरियाबंद).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, देवभोग अपने घोषित कार्यस्थल देवभोग के अतिरिक्त गरियाबंद में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 541/तीन-22-3/2000 (गरियाबंद-देवभोग), दिनांक 22-01-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गरियाबंद की श्रृंखला न्यायालय देवभोग से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 642/III-22-3/2008 (Devbhog-Gariyaband).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Devbhog in addition to his place of sitting at Devbhog declared shall also sit at Gariyaband to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No. 541/III-22-3/2000 dated 22-01-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II, Gariyaband at Devbhog is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 643/तीन-22-3/2008 (पंडरिया-कवर्धा).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पंडरिया अपने घोषित कार्यस्थल पंडरिया के अतिरिक्त कवर्धा में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 999/तीन-22-3/2000 (कवर्धा-पंडरिया), दिनांक 08-2-2007 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कवर्धा की श्रृंखला न्यायालय पंडरिया से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 643/III-22-3/2008 (Pandariya-Kawardha).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Pandriya in addition to his place of sitting at Pandriya declared shall also sit at Kawardha to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No. 999/III-22-3/2000 (Kawardha-Pandariya) dated 08-02-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II, Kawardha at Pandariya is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 644/तीन-22-3/2008 (छुईखदान-खैरागढ़).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, छुईखदान अपने घोषित कार्यस्थल छुईखदान के अतिरिक्त खैरागढ़ में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 644/III-22-3/2008 (Chhuikhadan-Khairagarh).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Chhuikhadan in addition to his place of sitting at Chhuikhadan declared shall also sit at Khairagarh to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 645/तीन-22-3/2008 (गुण्डरदेही-दुर्ग).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही अपने घोषित कार्यस्थल गुण्डरदेही के अतिरिक्त दुर्ग में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 993/तीन-22-3/2000 (दुर्ग-गुण्डरदेही), दिनांक 08-2-2007 जहां तक उसका संबंध तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दुर्ग की श्रृंखला न्यायालय गुण्डरदेही से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 645/III-22-3/2008 (Gunderdehi-Durg).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Gunderdehi in addition to his place of sitting at Gunderdehi declared shall also sit at Durg to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

The Notification No. 993/III-22-3/2000 (Durg-Gunderdehi) dated 08-02-2007 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of IIIrd Civil Judge Class II, Durg at Gunderdehi is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक 646/तीन-22-3/2008 (पाटन-दुर्ग).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पाटन अपने घोषित कार्यस्थल पाटन के अतिरिक्त दुर्ग में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 17th January 2008

No. 646/III-22-3/2008 (Patan-Durg).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Patan in addition to his place of sitting at Patan declared shall also sit at Durg to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge from time to time.

By order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2008

क्रमांक 01/चार/निर्वा. संचा./08/364.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2008/जे. एस. III, दिनांक 30 जनवरी, 2008 निर्वाचन प्रतीक (चिन्हों के आरक्षण तथा आवंटन) की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 2008—10 माघ, 1929 (शक)

अधिसूचना

सं. 56/2008/न्या. अनु.-III . — निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन), आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 56/2007 (i)/न्या. अनु.-III, दिनांक 10 मार्च, 2007 और 56/2007 (ii)/न्या. अनु.-III, दिनांक 8 नवम्बर, 2007 के द्वारा यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं. 56/2007 / न्या. अनु.-III, दिनांक 06 जनवरी, 2007 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

I उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-I (राष्ट्रीय दलों) में, बहुजन समाज पार्टी से सम्बन्धित क्रम सं. 1 के सामने, स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "14-गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी.

II उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-II (राज्यीय दलों) में-

(i) गोवा राज्य से संबंधित क्रम सं. 5, के सामने :-

(अ) "यूनाइटेड गोन्स डेमोक्रेटिक पार्टी" से सम्बन्धित स्तम्भ 3, 4 एवं 5 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियाँ विलोपित की जाएंगी.

(ब) "सेव गोवा फ्रंट" से सम्बन्धित स्तम्भ 3, 4 एवं 5 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी-

	3	4	5
2.	सेवा गोवा फ्रन्ट	वायुयान	1761, सब्रे, अमृतनगर, गोधल, फतोरदा गोवा.

(ii) मणिपुर राज्य से संबंधित क्रम सं. 13, के सामने, स्तम्भ 4, के अन्तर्गत "नेशनल पीपुल्स पार्टी" के क्रम में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "किताब" प्रतिस्थापित की जाएंगी.

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित क्रम सं. 23, के सामने :-

(अ) "राष्ट्रीय लोक दल" से सम्बन्धित स्तम्भ 3, 4 व 5 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियां हटाई जाएंगी.

(ब) स्तम्भ 3 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि "2-समाजवादी पार्टी" के स्थान पर प्रविष्टि "समाजवादी पार्टी" प्रतिस्थापित की जाएंगी.

III उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों) में-

(i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्र. सं. 878 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमश : अन्त: स्थापित की जाएंगी-

879	बैकवर्ड क्लासिज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे. एण्ड के. (बीडीपी)	पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के सामने, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर-180 004.
880	बोडोलैण्ड पीपुल्स फ्रन्ट	हैड ऑफिस कोकराझार, बी. टी. सी., पोस्ट ऑफिस-कोकराझार, जिला-कोकराझार, आसाम, पिन 783 370.
881	इन्धिया कुडियारासु काच्ची	11, कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु.
882	जागो पार्टी	9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाउन्ड, एस. डी. रोड, सिकन्दराबाद-500 026, आन्ध्रप्रदेश.
883.	जय छत्तीसगढ़ पार्टी	10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर, नगर घड़ी चौक, जी. ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001.
884	केरल रिवोल्यूशनरी सोसिलिस्ट पार्टी (बेबी जॉन)	बेबी जॉन शशत्याबधा, पूरथी मेमोरियल बिल्डिंग, चावरा पो. ओ.-691 583, कुलांगरा भगोम, कोल्लम, केरल.
885	मजदूर किसान यूनियन पार्टी	459/1, मो.-सरवट (वसन्त विहार), पो.-खास, जिला व शहर-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251 001
886	पंजाब लेबर पार्टी	ग्राम व डाकखाना-आधनियाँ, तहसील-मलोट, जिला-मुक्तसर, पंजाब.
887	राष्ट्रीय लोक दल	12, तुगलक रोड, नई दिल्ली-110011
888	राष्ट्रीय युवा संघ	ई-83, गली नं. 04, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली-110096.
889	सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी	1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली (पूर्व), मुम्बई-400 066.

890	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	ए-5, सैक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ-226 024, उत्तर प्रदेश.
891	यूनाइटेड गोन्स डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलियाडोस, गोमत विद्या निकेतन के पीछे, एब्सडे फेरिया रोड, माडगांव (गोवा)-403 601.

(ii) क्र. सं. 732 के सामने "शिक्षित बेरोजगार सेना" से संबंधित स्तम्भ 3 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियाँ "चन्दन कुमार बहराइच, खजूरहवां, मदियाहुं, जौनपुर, उत्तर प्रदेश" प्रविष्टियाँ द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी.

(iii) क्र. सं. 759 के सामने "तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार)" से संबंधित स्तम्भ 3 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियाँ, "नं. 2 द्वितीय स्ट्रीट, द्वितीय पुधु नगर, कनुवापेट, विलिनम, पुदुचेरी" प्रविष्टियाँ द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी.

IV सारणी-IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) में प्रविष्टियाँ "1-वायुयान" और "13-किताब" विलोपित की जाएंगी.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 30th January, 2008—10 Magha
, 1929 (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2008/J.S-III .—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No.56/2007/J.S.-III, dated 6 th January, 2007, as amended vide Notification Nos.56/2007 (i) /J. S.-III dated 10th March, 2007 and 56/2007 (ii)/ J. S.- III, dated 8th November, 2007, namely :-

I In Table I (National Parties), appended to the said Notification, against Serial No. 1, relating to Bahujan Samaj Party, the existing entries under column 4 shall be substituted by the entries "14, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi-110001".

II In Table II (State Parties), appended to the said Notification :-

(i) against Serial No. 5, relating to the State of Goa :-

(a) the existing entries undef columns 3, 4 & 5 relating to "United Goans Democratic Party" shall be deleted and.

(b) the existing entries under columns 3, 4 & 5 relating to "Save Goa Front" shall be substituted by the following entries :-

3	4	5
2. Save Goa Front	Aeroplane	1761, Sabre, Amrutnagar, Goghal, Fatorda, Goa.

(ii) against S. No. 13, relating to the State of Manipur, the existing entries under column 4 in respect of " National Pepole's Party" shall be substituted by the entry Book" ;

(iii) against Sl. No. 23, relating to the State of Uttar Pradesh :-

(a) the existing entries under columns 3, 4 & 5 relating to "Rashtriya Lok Dal" shall be deleted and

(b) the existing entries under column 3, "2. Samajwadi Party" shall be substituted by the entries "Samajwadi Party".

III In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification :

(i) after the existing entries at Sl. No. 878, the following entries shall be inserted under columns 1, 2 & 3 respectively :-

879	Backward Classes Democratic Party, J&K (BDP)	Peer Bagh Colony, Opp. Army Gate, Sunjwan Road, Jammu, Jammu & Kashmir-180 004.
880	Bodaland Peoples Front	Head office, Kokrajhar, B. T. C., P. O.- Kokrajhar, Distt. Kokrajhar, Assam, Pin-783 370.
881	Indhia Kudiarasu Katchi	11, Karpagambal Nagar, III Street, Kottivakkam, Chennai-600 041, Tamil Nadu.
882	Jago Party	9-1-108/1, 2nd Floor, Tata Chary Compound, S. D. Road, Secundrabad-500026, Andra Pradesh.
883	Jai Chhattisgarh Party	10, 2nd Floor, Shaheed Veernarayan Singh Compound, Nagar Ghari Chowk, G. E. Road, Raipur, Chhattisgarh-492 001.
884	Kerala Revolutionary Socialist Party (Baby John)	Baby John Shashttyabdha, Poorthi Memorial Building, Chavara P. O.-691 583, Kulangara Bhagom, Kollam, Kerala.
885	Majdoor Kisan Union Party	459/1, Moh. Sarvat (Basant Vihar), Post Office-Khas, Distt. & City-Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251 001.
886	Punjab Labour Party	Village and Post Office Adhniyan, Tehsil-Malot, Distt.-Muktsar, Punjab.
887	Rashtriya Lok Dal	12-Tughlak Road, New Delhi-110011.
888	Rashtriya Yuva Sangh	E-83, Gali No.4, New Ashok Nagar, New Delhi-110096.
889	Sardar Vallabhbhai Patel Party	1, Olekar House, Dattapada Road, Borivali (East), Mumbai-400 066.
890	Swarajya Party of India	A-5, Sector-B, Aliganj, Lucknow-226 024, Uttar Pradesh.

891	United Goans Democratic Party	1st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absede Faria Road Margao. Goa-403601.

(ii) against Sl. No. 732, relating to "Shikshit Berozgar Sena", the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries " Chandan Kumar Bahraicha, Khajurhawan, Madiyahun, Jaunpur, Uttar Pradesh";

(iii) against Sl. No. 759, relating to "Tamil Maanila Congress (Moopnar)" the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries " No. 2, 2nd Street, 2nd Pudhunagar, Kanuvapet, Villinnum, Puducherry".

IV In Table-IV (List of Free Symbols), the entries " 1 Aeroplane" and "13. Book" shall be deleted.

By Order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary to the
Election Commission of India.